संख्या-20/2023/001-415/60-1-2023

प्रेषक,

दिनेश चन्द्र पाण्डेय,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक:: 21 अप्रैल, 2023**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-49 राजस्व पक्ष में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-03/निदे0म0क0/लेखा-बजट-वि0स्वी0/2023-24, दिनांक 12.04.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुदान संख्या-49 के लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-08-परिवीक्षा सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 44,98,35,000/- (रूपये चैवालीस करोड़ अठानवें लाख पैंतीस हजार मात्र) के सापेक्ष रू0 44,98,35,000/- (रूपये चैवालीस करोड़ अठानवें लाख पैंतीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का निवर्तन इस शर्त के साथ किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की अवधि में समस्त व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में उल्लिखित प्राविधानों/उपबन्धों के अनुसार ही किया जायेगा।

(2) उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन द्वारा निर्धारित नियमों/आदेशों के अनुसार एवं समय-समय पर जारी मितव्ययता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(3) यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं है, जिन मामलों में उ0प्र0, बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि को आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण, तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाए।

(5) विभिन्नत अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस/16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2235021020800 (परिवीक्षा सेवा क्षेत्र)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020800	01	26,01,21,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	वेतन	(रुपये छब्बीस करोड़ एक लाख इक्कीस हजार मात्र)
2	049	2235021020800 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	03 मंहगाई भत्ता	11,70,54,000 (रुपये ग्यारह करोड़ सत्तर लाख चौवन हजार मात्र)
3	049	2235021020800 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	04 यात्रा व्यय	8,50,000 (रुपये आठ लाख पचास हजार मात्र)
4	049	2235021020800 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
5	049	2235021020800 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	06 अन्य भत्ते	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
6	049	2235021020800 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	07 मानदेय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
7	049	2235021020800 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	08 कार्यालय व्यय	51,00,000 (रुपये इक्यावन लाख मात्र)
8	049	2235021020800 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	09 विद्युत देय	1,76,00,000 (रुपये एक करोड़ छिहत्तर लाख मात्र)
9	049	2235021020800 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	10 जलकर / जल प्रभार	5,50,000 (रुपये पांच लाख पचास हजार मात्र)
10	049	2235021020800 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	46,50,000 (रुपये छियालीस लाख पचास हजार मात्र)
11	049	2235021020800 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	15,50,000 (रुपये पंद्रह लाख पचास हजार मात्र)
12	049	2235021020800 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	13 टेलीफोन पर व्यय	5,50,000 (रुपये पांच लाख पचास हजार मात्र)
13	049	2235021020800 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	7,00,000 (रुपये सात लाख मात्र)
14	049	2235021020800 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
15	049	2235021020800	42	50,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	अन्य व्यय	(रुपये पचास हजार मात्र)
16	049	2235021020800 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	60,000 (रुपये साठ हजार मात्र)
17	049	2235021020800 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	45 अवकाश यात्रा व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
18	049	2235021020800 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
19	049	2235021020800 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	40,00,000 (रुपये चालीस लाख मात्र)
20	049	2235021020800 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	49 चिकित्सा व्यय	75,00,000 (रुपये पचहत्तर लाख मात्र)
21	049	2235021020800 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	51 वर्दी व्यय	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
22	049	2235021020800 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	55 मकान किराया भत्ता	2,42,00,000 (रुपये दो करोड़ बयालीस लाख मात्र)
23	049	2235021020800 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	11,00,000 (रुपये ग्यारह लाख मात्र)
	कुल			**44,98,35,000 (रुपये चवालीस करोड़ अट्ठानबे लाख पैंतीस हजार मात्र)**

महायोग	44,98,35,000 (रुपये चवालीस करोड़ अट्ठानबे लाख पैंतीस हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(दिनेश चन्द्र पाण्डेय)
उप सचिव

संख्या-20/2023/001-415/60-1-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(सुनील कुमार यादव)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।